

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(32)न्याय/1999

जयपुर, दिनांक 22.9.2020

:: आज्ञा ::

श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द गौड़ को दिनांक 30.09.2020 के अपराह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश चन्द गौड़ के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. पंजीयक, कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव